

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 01/2024, GCMS NO 2024/177

सायल	बनाम	गैरसायल
जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा		हाजी अजरुदीन पुत्र मुबारक खां जाति मोयला मुसलमान, निवासी नीलम सिनेमा के पीछे बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा।

### परिवाद अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

- उपस्थित:- 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।  
2. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

### निर्णय

दिनांक : 16.12.2025

- सायल की ओर से गैर सायल हाजी अजरुदीन पुत्र मुबारक खां जाति मोयला मुसलमान, निवासी नीलम सिनेमा के पीछे बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अन्तर्गत परिवाद दिनांक 13.11.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर सायल बदमाश व जुआरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरूरी है। यह शक्स ताश के पत्तों पर रूपये दांव पर लगाकर जुए खेलता है जिसमें एक को लाभ व अन्य को हानि होने से आपस में प्रायः मारपीट व झगड़े होते रहते हैं जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है। ऐसे बदमाश व समाज कंटक का समाज में रहने से और भी नये लड़के इसकी संगत में आकर अपराध कर सकते हैं। ऐसे गुण्डा तत्व को जिले से बेदखल करना निहायत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश का विरोध करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता है तथा इस बदमाश से आमजन इतना भयभीत हैं कि इसके खिलाफ गवाही देने से कतराता है, अथवा रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता हैं। उक्त शक्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) में परिभाषित धारा 2 में आता है। इसके विरुद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए हैं-



  
जिला कलक्टर  
बालोतरा

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	223/05.05.2013	341,323, 325/34 भादस	बालोतरा	180/31.07.2023	दिनांक 24.08.2015 को एसीजेएम कोर्ट बालोतरा से राजीनामा बरी
2	746/21.08.2022	13 RAGO Act	बालोतरा	190/31.08.2022	दिनांक 10.10.2022 को एसीजेएम कोर्ट बालोतरा 4 पीओ के तहत 1 साल के लिये पांबध
3	191/10.05.2023	13 RAGO Act	बालोतरा	64/16.05.2023	दिनांक 18.05.2023 को एसीजेएम कोर्ट बालोतरा 3 पीओ के तहत प्रताडना

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बालोतरा जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

- सायल की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया।
- गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप में अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी के विरुद्ध वर्ष 2015 एवं 2022 से 2023 के दौरान दर्ज हुए 3 मुकदमों के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ हैं। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।
- विद्वान अभियोजन अधिकारी बालोतरा का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरुद्ध 13 RAGO Act के 3 अपराध दर्ज हुए हैं जिसमें न्यायालय द्वारा जुर्माना से दण्डित किया गया है। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा वर्ष 2023 के बाद कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बालोतरा या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नहीं हुआ हैं और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया हैं। इसलिये गैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।



  
जिला कलेक्टर  
बालोतरा

6. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (v) के अनुसार राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरुद्ध 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर प्रकरणों में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित करते हुए निर्णय किये गये है, इसके बावत अधिवक्ता गैरसायल का कथन है कि उक्त प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति द्वारा निस्तारित हुए हैं। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध वर्ष 2023 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रकरण दर्ज होना रिकॉर्ड पर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार दोनों स्थितियां विद्यमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुधील कुमार)  
जिला कलेक्टर  
बालोतरा  
राजस्थान